न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 9/2016 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. देवा पिता दौला माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. लालसिंह पिता देवा माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. रमेश पिता देवा माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. कालु पिता देवा माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. दिनेश पिता देवा माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. वालु पिता नारजी माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. सूर्या पिता नारजी माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. शम्भू पिता नारजी माईडा, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. देवीसिंह पिता स्वर्गीय भावजी, जाति खराडी भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. जीवणा पिता स्वर्गीय भावजी, जाति खराडी भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. उंकार पिता स्वर्गीय भावजी, जाति खराडी भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. गौतम पिता स्वर्गीय भावजी, जाति खराडी भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. श्रीमती दुदा पत्नी स्वर्गीय नाथू, जाति खराडी भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 12.02.2016 प्र.सं. 58/2014

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1— श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय दिनांक 11—04—2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि ग्राम साकडीलान में स्थित है, जिस पर वादीगण अपने बाप—दादाओं के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अभी एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने सर्वे नंबर 322/98 में तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 8 ने 20 दिन पूर्व आराजी नंबर 327/99 में जबरन कब्जा कर खेडने लगे एवं मना करने पर नहीं माने, जिसके संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों एवं पुलिस थाना में रिपोर्ट प्रस्तुत की, फिर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे हैं एवं जबरन कब्जा का उन्हे खेड दिया तथा मक्की बो दी, जिससे वादीगण को अपनी कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा है। अतएवं प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को उचित विधिक अनुतोष दिलाया जावे।

प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण विवादित भूमि पर अपने बाप दादाओं के समय से काबिज चले आ रहे हैं, सिर्फ सहवन से वादीगण का नाम दर्ज हो गया है। घटना एक माह अथवा 20 दिन पूर्व की नहीं है। प्रतिवादीगण का वर्षो से कब्जा है। अतएवं वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादीगण के निजी स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 322/98 में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लिया है व जबरन मक्की की फसल बो दी है। उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खर्चे से कब्जा हटाया जावे ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण के निजी स्वामित्व आधिपत्य की कृषि भूमि सर्वे नंबर 327/99 में प्रतिवादी संख्या 6 से 8 द्वारा जबरन प्रवेश कर कब्जा कर लिया है व जबरन मक्की की फसल बो दी है। उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के खर्चे से कब्जा हटाया जावे ? ..... वादीगण
3. आया वाद चरण संख्या 1 में बतायी गयी कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने के कारण वादीगण को अपनी एक मात्र कृषि भूमि से महरूम होना पड़ रहा हैं ? ..... वादीगण
4. आया वादीगण के पास उपरोक्त सर्वे नंबर की कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि नहीं हैं ? ..... वादीगण
5. आया वाद चरण संख्या 1 में बतायी गयी सर्वे नंबर की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है ? ..... प्रतिवादीगण
6. अनुतोष ?

अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22–01–2016 को प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। पुनः दिनांक 05–02–2016 को भी प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12–02–2016 को वादी की तरफा बहस सुनकर वादी का वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–04–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–02–2016 को निर्णय पारित किया गया है, जिसकी मयाद 11–04–2016 होती है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा 7 दिवस विलम्ब से दिनांक 18–04–2016 को अपील प्रस्तुत की गयी है तथा विलम्ब के लिए किसी प्रकार का आवेदन अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। आश्चर्य जनक रूप से प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा नकल का आवेदन दिनांक 25–02–2016 को प्रस्तुत किया गया है तथा नकल भी उसी दिन तैयार होकर उसे प्राप्त हो चुकी है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील विहित अवधि में प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा मयाद कण्डोन किये जाने के लिए

कोई आवेदन अथवा शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है, तद्नुसार अपील प्रथम दृष्टया मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, यह निर्विवाद तथ्य है कि रेस्पोन्डेन्ट विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं तथा वे यह कहकर आये हैं कि उनकी उक्त भूमि पर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा एक माह/20 दिन पूर्व कब्जा कर लिया गया है, जिस पर उनके द्वारा कार्यवाही भी की गयी है, जबकि अपीलान्टगण का कथन है कि उनका इस भूमि पर वर्षो पुराना अपने बाप–दादाओं के समय से कब्जा है, परन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। इस न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के आवेदन के तहत फोटोग्राफ एवं बिजली के बिल प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वे विवादित भूमि से ही संबंधित हो तथा उक्त निर्माण 12 वर्ष की अवधि से पूर्व किया गया हो अर्थात रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद मयाद बाहर हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार के पक्ष में बेदखली का जो आदेश पारित किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–02–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–04–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

देवा पिता दौला माईडा, जाति भील निवासी साकडीनाल, तह. आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**देवीसिंह पिता स्व0 भावजी, जाति भील, निवासी साकडीनाल, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**9 / 2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**12**.....माह.....**02**.....**2016**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**11**....माह.....**04**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री यशपाल गुप्ता** ....मिनजानिब अपीलान्ट व ..... **श्री महेन्द्रसिंह राठौड़**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–02–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**11**.....माह.....**04**.....**2018** को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।